-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा दुकानदार की दुकान में पर्ची फेककर रंगदारी व जान से मारने की धमकी देने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विवेचना के क्रम में थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा दुकानदार की दुकान में पर्ची फेककर रंगदारी व जान से मारने की धमकी देने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 26.01.2026 को थाना तिन्दवारी पर दुकनदार द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 21.01.2026 को एक धमकी भरा पत्र दुकान में मिला जिसमें रंगदारी व जान से मार देने की धमकी दी गई थी। सूचना पर अभियोग पंजीकृत करते दिनांक 26.01.2026 को एक अभियुक्त शनि पुत्र रनमत को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा चुका है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 28.01.2026 को वांछित अभियुक्त को बबेरु रोड के क्योटरा बहिंगा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया व तलाशी में अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 12 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. भानू पुत्र राजकुमार निवासी अमलीकौर थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 22/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 18/26 धारा 308(4) बीएनएस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 19/26 धारा132/352/351(3) बीएनएस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह थाना प्रभारी तिन्दवारी
2. उ0नि0 श्री उत्कर्ष सिंह
3. म0उ0नि0 श्री रोशनी सेंगर
4. हे0कां0 शम्स इबरार अख्तर
5. हे0कां0 ब्रजेश सिंह
6. कां0 मनोज कुमार